"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2010—आश्विन 26, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्रमांक 11725/डी. 222/21-अ/प्रा./छ. ग./10.--छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-06-2010 को राज्यपाल एवं दिनांक 03-10-2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 25 सन् 2010)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम (1899 का सं. 2) का संशोधन.

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को छत्तीसगढ़ राज्य में इसके लागू हुए रूप में उस रीति में संशोधित किय जाये जो कि इसमें इसके पश्चात् उपबंधित की गई है.

धारा 47-क का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा-47 क में :—

(एक) उपधारा (3-क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (4) जोड़ी जाये, अर्थात् :—

"(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील, विहित रीति में, संभाग के आयुक्त अथवा ऐसे अधिकारी को कर सकेगा, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त हो."

(दो) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

"(5) उपधारा (4) के अधीन अपील में पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील विहित रीति में, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, छत्तीसगढ़ को कर सकेगा."

(तीन) उपधारा (6) की प्रथम पंक्ति में शब्द "प्रत्येक" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"प्रथम तथा द्वितीय"

(चार) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

"(8) द्वितीय अपील में पारित आदेश या जहां कोई द्वितीय अपील न की गई हो, वहां प्रथम अपील में पारित आदेश अंतिम होगा और यथास्थिति प्रथम या द्वितीय अपील में पारित किये गये आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, वह आदेश जो कलेक्टर द्वारा उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन पारित किया गया हो अंतिम होगा और किसी भी सिविल न्यायालय में या किसी भी अन्य प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जायेगा."

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्रमांक 11725/डी. 222/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 25 of 2010)

THE INDIAN STAMP (CHHATTISGARH AMENDMENT) ACT, 2010

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty first year of the Republic of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Chhattisgarh Amendment) Act, 2010. — **Short title and Commencement.**

   (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) (hereinafter referred to as the Principal Act) in its application to the State of Chhattisgarh be amdended in the manner hereinafter provided. — **Amendment of Central Act (No. 2 of 1899) in its application to the State of Chhattisgarh.**

3. In Section 47-A of the Principal Act :— — **Amendment of Section 47-A.**

   (i) After sub-section (3-A), the following sub-section (4) shall be added, namely :—

   "(4) Any person aggrieved by an order of the Collector under sub-section (2) or sub-section (3) may, in the prescribed manner appeal against such order to the Commissioner of the Division or Officer so appointed by the State Government, by notification in the Official Gazette."

   (ii) For sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely :—

   "(5) Any person aggrieved by an order passed in appeal under sub-section (4) may, in the prescribed manner appeal against such order to the Chief Controlling Revenue Authority, Chhattisgarh."

   (iii) After the word "Every" in the first line of sub-section (6), the following word shall be inserted, namely :—

   "first and second"

   (iv) For sub-section (8), the following sub-section shall be substituted, namely :—

   "(8) The order passed in second appeal or, where no second appeal is preferred, the order passed in first appeal, shall be final and subject to orders passed in first or second appeal, as the case may be, the order passed by the Collector under sub-section (2) or sub-section (3) shall be final and shall not be called into question in any Civil Court or before any other Authority whatsoever."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.